

प्रेषक,

अनुराग श्रीवास्तव,
प्रमुख सचिव,
उ०प्र०, शासन।

सेवा में,

जिलाधिकारी,
महोबा, बांदा, चित्रकूट, ललितपुर, जालौन, झांसी एवं हमीरपुर।

ग्राम्य विकास अनुभाग-7

लखनऊ दिनांक 15 नवम्बर, 2017

विषय- ग्राम पंचायत की चारागाह की भूमि को गोचर क्षेत्र के रूप में परिवर्तित कर बाउण्ड्रीवाल बनाये जाने के संबंध में।

महोदय,

आप अवगत हैं कि ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली की मार्ग-निर्देशिका 2013(चतुर्थ संस्करण) के अनुबंध- 36 के अनुसार मनरेगा एवं डेयरी तथा पशुपालन विभाग के मध्य कनवर्जन्स के अन्तर्गत भूमि विकास, चारागार एवं घेराबंदी को मनरेगा के तहत अनुमन्य कार्यों की श्रेणी में रखा गया है। इसके अतिरिक्त ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार के राजपत्र दिनांक 03-01-2014 में मनरेगा अधिनियम 2005 की अनुसूची-1 के बिन्दु-IV के प्रवर्ग-आ-दुर्बल वर्गों के लिए व्यष्टिक आस्तियां- के बिन्दु-(V) में पशुधन संवर्द्धन के लिए अवसरचना का निर्माण यथा-पशु आश्रय, चाराद्रोणिका इत्यादि को अनुमन्य कार्य श्रेणी में सम्मिलित किया गया है। इनके अतिरिक्त प्रवर्ग 'ई' के बिन्दु -(II) में स्वयं सहायता समूहों की आजीविका क्रिया-कलापों के लिए सामान्य कार्यशाला (COMMON WORK SHEDS) को अनुमन्य कार्य श्रेणी में रखा गया है।

2- चूंकि मनरेगा योजना अधिनियम आधारित है। कार्य की मांग के आधार पर निर्मित ग्राम/क्षेत्र/जिला पंचायत स्तर से अनुमोदित व ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा स्वीकृत श्रम बजट के सापेक्ष उपलब्ध वित्तीय संसाधनों का उपयोग-योजनान्तर्गत निर्धारित मानकों के अनुरूप किये जाने का प्राविधान है। मनरेगा योजनान्तर्गत निर्धारित प्राविधानों के अनुरूप होने की स्थिति तक ग्राम पंचायतों में स्थित चारागाहों में बाड लगवाकर गोचर भूमि विकसित/पशु आश्रय बनाये जा सकते हैं। उपरोक्तानुसार इस संबंध में यहां यह भी उल्लेखनीय है कि विकसित गोचर क्षेत्र के रख-रखाव एवं उस पर होने वाले आवर्ती व्यय का वहन मनरेगा योजनान्तर्गत किये जाने की व्यवस्था नहीं है।

3- इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया गोचर क्षेत्र विकसित किये जाने के संबंध में उपरोक्तानुसार कार्यवाही करने का कष्ट करें।

भवदीय,

(अनुराग श्रीवास्तव)
प्रमुख सचिव

संख्या- 25 /2017/ 1761(1)/अडतीस-7-2017 तददिनांक:-

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. प्रमुख सचिव, पशुधन विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।

2. अध्यक्ष, गो सेवा आयोग, उत्तर प्रदेश।
3. आयुक्त, ग्राम्य विकास विभाग, उ०प्र०।
4. मण्डलायुक्त, झांसी एवं चित्रकूट धाम।
5. संबंधित जनपदों के मुख्य विकास अधिकारी।
6. गार्ड बुक।

आजा से

(विजय बहादुर वर्मा)
उप सचिव।

<http://shasanadesh.up.nic.in>

यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया हैइ :अत ,स पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.nic.in> से सत्यापित की जा सकती है ।